"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2011—चैत्र 25, शक 1933

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29.—विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भारत सरकार से परामर्श के उपरान्त, राज्य सरकार एतद्द्वारा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 की अनुसूची-नौ में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अनुसूची में,—

अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 16 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"17. काउन्टर मशीन :—
(क) काउन्टर मशीन क्षमता 10 किलोग्राम तक : रुपये 20.00
(ख) काउन्टर मशीन क्षमता 10 किलोग्राम से अधिक : रुपये 50.00."

Raipur, the 13th April 2011

NOTIFICATION

No. F 10-122/Food/2010/29.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009, after consultation with Government of India, the State Government, hereby makes the following amendment in Schedule-IX of Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said Schedule—

After serial number 16 of Schedule-IX, the following shall be added, namely :—

"17. Counter Machine :—

(a) Counter machine up to capacity 10 Kg. : Rs. 20.00

(b) Counter machine above capacity 10 Kg. : Rs. 50.00."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.